विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 11,676.35 करोड़ के कर/शुल्क के अनारोपण या अल्पारोपण एवं हानि से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षाएँ सहित 32 कंडिकायें सम्मिलित हैं। जिसमें ₹ 10,282.30 करोड़ वसूलनीय है एवं शेष ₹ 1,394.05 करोड़ सरकार को हुई परिहार्य क्षति है। ₹ 1,394.05 करोड़ परिहार्य क्षति सहित ₹ 11,672.52 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख संक्षेप मे निम्न कंडिकाओं में किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2014-15 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 31,564.56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 40,638.35 करोड़ थीं। कर राजस्व के ₹ 11,478.95 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व के ₹ 5,853.01 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 17,331.96 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 23,306.39 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ₹ 15,968.75 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ₹ 7,337.64 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 43 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कुल प्राप्तियाँ में 28.75 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि का कारण मुख्यत: विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा में 68.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कर-भिन्न राजस्व में 35 प्रतिशत की वृद्धि थीं। वर्ष 2015-16 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 8,998.95 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 4,384.43 करोड़) क्रमश: कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2016 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर एवं राज्य उत्पाद के संबंध में राजस्व के बकाये के रुप में ₹ 3,237.28 करोड़ थीं जिनमें ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। उपरोक्त बकाये में से ₹ 313.48 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,343.84 करोड़ की वसूली न्यायालयों एवं अन्य कानूनी कार्यवाहियों के कारण रुका हुआ था, जबकि शेष ₹ 1,579.96 करोड़ के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

(कंडिका 1.2)

वर्ष 2015-16 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिसका निपटारा जून 2016 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 740 एवं 7,192 थीं, जिनमें ₹ 8,075 करोड़ सन्निहित थे।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियाँ के 123 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिनमें 45,954 मामलों में कुल ₹ 12,737.35 करोड़ के राजस्व के कर/शुल्क के कम आरोपण एवं हानि के मामले उद्घटित हुये। संबद्ध विभागों ने 40,355 मामलों में सन्निहित ₹ 12,120.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2015-16 में 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.9)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क. के लेन-देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन" की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- निबंधन हेतु योग्य व्यवसायियों की पहचान हेतु विभाग में लेन-देन की तिर्यक-जाँच हेतु प्रणाली के अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण 277 अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा ₹ 37.65 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

(कंडिका 2.3.6)

- विभागान्तर्गत आंकड़ो के तिर्यक-जाँच में प्रकट हुआ कि 42 व्यवसायियों द्वारा क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव किया गया एवं परिणामस्वरूप 51.17 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.1)

- झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त आंकड़ो के तिर्यक-जाँच में 25 निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव का पता चला एवं परिणामस्वरूप ₹ 95.58 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.2)

- भारत सरकार के विभागों/लो॰उ॰इकाईयों से प्राप्त आंकड़ो को वाणिज्यकर विभागों में निबंधित 64 व्यवसायियों द्वारा दाख़िल विवरणियों से की गयी तिर्यक-जाँच में क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव का पता चला एवं परिणामस्वरूप ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.3)

"झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- 1 अप्रैल 2011 को बकाये राजस्व की राशि ₹ 1,406.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 2,384.39 हो गयी। इस प्रकार, 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

(कंडिका 2.4.4.1)

- विभाग द्वारा प्रतिवेदित बकाये से संबंधित 10 अंचलों से संग्रहित बकाये में भिन्नता थीं। विभाग ने 28 अंचलों में ₹ 722.09 करोड़ के बकाये न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकरणों एवं सरकार के पास लंबित प्रतिवेदित किया जबकि मात्र 10 अंचलों द्वारा प्रत्यक्षरीति से लेखापरीक्षा को दिये गये सूचना में ₹ 1,360.21 करोड़ के बकाये की राशि दर्शाया गया।

(कंडिका 2.4.5)

- वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) एवं वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालयों में जनवरी 2010 एवं मार्च 2014 के बीच दायर 418 मामलों में से 166 पुनरीक्षण के मामलों में सन्निहित ₹ 274.85 करोड़ की राशि झा.मू.व.क. अधिनियम में दिये गये समय सीमा के अन्तर्गत काल बाधित हो गये।

(कंडिका 2.4.6.1 एवं 2.4.6.2)

- 229 मामलों में सन्निहित ₹ 44.68 करोड़ के प्रमाणित बकाये 10 वर्षो से अधिक समय से निष्पादन हेतु लंबित था।

(कंडिका 2.4.10)

14 वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 36 व्यवसायियों के विक्रय/क्रय आवर्त के निर्धारण में करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमिताओं के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 294.32 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ ।

(कंडिका 2.5)

12 वाणिज्यकर अंचलों के 34 निर्धारितियों के मामले में 2010-11 एवं 2012-13 मध्य की अवधि के दौरान छूट के दावे प्रलेखों द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 173.06 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

III. राज्य उत्पाद

2014-15 के दौरान चार उत्पाद जिलों में 79 दुकानें अबंदोबस्त रहीं जिसके कारण सरकार को ₹ 47 करोड़ के उत्पाद शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.4.)

11 उत्पाद जिलों में जे॰एस.बी.सी.एल गोदामों/डिपो में भा.नि.वि.श./बीयर के रखे गये भण्डार पर ₹ 4.16 करोड़ के डेमरेज प्रभार (विलम्ब के लिए शुल्क) नहीं लगाया गया।

(कंडिका 3.6.)

IV. वाहनों पर कर

16 परिवहन कार्यालयों में 5,845 वाहन स्वामियों द्वारा अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2016 के मध्य देय ₹ 17.35 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो प्रमादी वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.4. एवं 4.5.)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

"झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन" के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- सरकार 469.38 एकड़ सन्निहित 1,279 उप-पट्टों के मामले में 1971-72 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, लगान एवं उपकर के रूप में ₹ 3,376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 5.3.9.1)

- 1999 से 2015 की अवधि हेतु सरकार ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर को दी गयी 122.82 एकड़ भूमि के संयंत्र क्षेत्र का पट्टा अधिकार अनियमित तरीके से अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया गया। नियमावली पट्टाधारकों द्वारा पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं करता।

(कंडिका 5.3.9.2)

- सरकार ₹ 26.76 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 4.31 एकड़ भूमि सन्निहित 23 बिक्री दस्तावेज निबंधित हुए यद्यपि उप-पट्टाधारक इन भूमि/फ्लैटों की बिक्री के लिये अधिकृत नहीं था।

(कंडिका 5.3.9.3)

- विभाग ₹ 3,964.94 करोड़ के लगान और ब्याज के संग्रह में विफल रहा चूँकि 1934-35 से 2014-15 के बीच की अवधि हेतु 2,547.42 एकड़ खासमहल भूमि में सन्निहित 10,425 पट्टाधारकों में से 7,862 पट्टाधारकों ने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया। विभाग ने न तो पट्टे के नवीनीकरण के लिये पट्टाधारकों को नोटिस निर्गत किया और न ही उन्हें निष्कासित करने के लिये कदम उठाया।

(कंडिका 5.3.10.1)

- सरकार 1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 248.77 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग अतिक्रमण के अधीन 1,859.68 एकड़ भूमि को खाली कराने व इससे राजस्व अर्जित करने में विफल रहा और टाटा स्टील लिमिटेड,

जमशेदपुर को पट्टे पर दी गयी 69.43 एकड़ भूमि की अवस्थिति का पता नहीं लगा सका।

(कंडिका 5.3.10.3)

- सरकार ₹ 216.59 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग 2006-07 से 2014-15 के दौरान 78 पट्टाधारकों के मामले में पट्टा लगान, उपकर, ब्याज, सलामी और भूमि के पूंजीकृत मूल्य की वसूली में विफल रहा।

(कंडिका 5.3.11)

- प्रवर्तन के छः वर्ष के पश्चात भी किसी जिले में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ। अभिलेखों के अनियमित संधारण के कारण 12,098.25 एकड़ खासमहल भूमि के क्षेत्र की विसंगतियाँ थीं।

(कंडिका 5.3.12.2 व कंडिका 5.3.12.3)

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 के मध्य अंचल कार्यालयों, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि द्वारा निष्पादित 106 पट्टों से संबंधित आंकड़ों को छः जिला अवर निबंधक कार्यालय के अभिलेखों से तिर्यक-जांच में उद्यघटित हुआ कि ये दस्तावेजें निबंधित नहीं थीं, इस तरह ₹ 29.48 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.7)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

वाणिज्यकर अंचल, हजारीबाग में करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दो निर्धारितियों के मामलों में गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 24.34 लाख के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.11)

VI. खनन प्राप्तियाँ

एक कोयला खान द्वारा मिडलिंग, टेलिंग और अस्वीकृत कोयले के आधार विक्रय मूल्य को विवरणी मे अवमूल्यन कर जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ को समर्पित किया जिसके परिणामस्वरुप ब्याज सहित ₹ 446.21 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.4)

2007-08 से 2008-09 एवं 2013-14 से 2014-15 की अवधि में चार जिला खनन पदाधिकारयों द्वारा छः पट्टाधारियों के मामले में 94 लाख मी.ट. कोयला, फेल्सपार, अबरख, क्वार्ट्ज़ एवं सोपस्टोन के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरुप ₹ 143.52 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.5)